राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 55/2017/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–29/2011/जोधपुर)
2. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 56/2017/जोधपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–30/2011/जोधपुर)

मैसर्स इण्डियन रेयन एण्ड इण्डस्ट्रीज, खारियाखंगार, जोधपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एम. मेड़तिया, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/11/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा ये संशोधन प्रार्थना–पत्र राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या क्रमशः 29/2011 व 30/2011/जोधपुर में खण्डपीठ द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 06.07.2015, एवं उक्त आदेशों को संशोधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना–पत्र क्रमशः 14/2016 व 15/2016/जोधपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.05.2017 में परिलक्षित भूल बताते हुए सुधार हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित प्रथम आदेश दिनांक 06.07.2015 को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपीलार्थी द्वारा संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को दिनांक 08.05.2017 से खारिज कर मूल आदेश दिनांक 06.07.2015 में कोई त्रुटि नहीं होना अवधारित किया गया था। संशोधन नहीं करने के उक्त आदेश को पुनः त्रुटिपूर्ण बताते हुए ये दूसरी बार संशोधन प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

2. उक्त प्रकरण के संक्षेप में विवादित तथ्य यह हैं कि अपीलीय अधिकारी जोधपुर के समक्ष केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 6ए के संव्यवहारों के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें लम्बित थी जिनकी सुनवाई राज्य के अधिनियम अनुसार ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा की जानी थी परन्तु केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में संशोधन कर उसमें धारा 18ए के सन्निवेश होने एवं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.05.2010 जारी होने के पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत पारित आदेशों की अपील सुनवाई के लिये प्रथम अपीलीय अधिकारी, सम्बन्धित राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी को अधिकृत किया

लगातार.....2

गया था, अतः अपीलार्थी की लम्बित अपीलों का क्षेत्राधिकार 2010 के बाद राजस्थान कर बोर्ड का हो गया था फलतः राज्य के प्रथम अपीलीय अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम में धारा 18A के विशिष्ठ प्रावधान आ जाने के कारण वे अपीलें कर बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी। अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया था कि अपीलार्थी की अपीलें चूंकि उक्त धारा 18ए जोड़े जाने के बहुत पूर्व वर्ष 1990—91 एवं 1991—92 से सम्बन्धित है अतः उनकी अपीलें उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर के समक्ष ही श्रवण योग्य हैं एवं उनका प्रथम अपीलीय अधिकारी राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी कर बोर्ड नहीं है। इस ऐतराज पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्ण विचार के बाद दिनांक 06.07.2015 को यह निर्णीत किया गया कि केन्द्रीय अधिनियम में धारा 18ए जोड़े जाने के पश्चात् अब केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के विवादित प्रकरणों में प्रथम अपील की सुनवाई राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी जो राजस्थान कर बोर्ड द्वारा ही की जावेगी।

3. कर बोर्ड के उक्त **आदेश दिनांक 06.07.2015** को संशोधित करने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रथम बार दिनांक 23.05.2016 को प्रार्थना—पत्र पेशकर अपीलार्थी के कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपील सुनवाई के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी किये गये उक्त आदेश दिनांक 06.07.2015 को अपास्त कर समस्त अपीलें प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त (अपील्स), जोधपुर को स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा सुनवाई कर दिनांक 08.05.2017 को विस्तृत आदेश पारित कर संशोधन प्रार्थना—पत्र को खारिज कर दिया गया एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए की उपधारा (2) व (3) के बिन्दु पर पूर्व की सभी लम्बित अपीलों में केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन के पश्चात् राजस्थान कर बोर्ड द्वारा ही सुनवाई का अधिकार होना निर्णीत किया गया है।

4. संशोधन प्रार्थना—पत्र दिनांक 23.05.2016 को खारिज करने के उक्त आदेश दिनांक 08.05.2017 को पुनः संशोधन करने हेतु यह दूसरी बार संशोधन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी की ओर से यह आधार लिया गया है कि उनके परिशोधन प्रार्थना—पत्र दिनांक 23.05.2016 में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दो निर्णय जो राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित किये गये थे, उन पर विचार नहीं किया गया अतः उन पर विचार कर संशोधन करते हुए उनकी अपीलें राज्य के प्रथम अपीलीय अधिकारी को स्थानान्तरित की जावें।

लगातार.....3

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि उनके प्रथम संशोधन प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.05.2016 में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1560/2010/जयपुर मैसर्स नीरज इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 06.03.2016 एवं अपील संख्या 578/2011 मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जयपुर निर्णय दिनांक 07.03.2014 में दिये गये निर्णयों को प्रस्तुत कर उन निर्णयों के अनुकरण में उनकी अपीलें राज्य के प्रथम अपीलीय अधिकारी को स्थानान्तरित करने का तर्क दिया गया था परन्तु उक्त प्रस्तुत दोनों निर्णयों पर विचार नहीं किया गया था अतः इन दोनों ही निर्णयों के आलोक में आदेश दिनांक 06.07.2015 एवं 08.05.2017 को संशोधित किया जावे एवं उनकी अपीलें जो केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए से सम्बन्धित है, को प्रथम अपीलीय अधिकारी को स्थानान्तरित करने के आदेश किये जावें।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के संशोधन प्रार्थना–पत्रों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध पारित कर निर्धारण आदेश वर्ष 1990–91 व 1991–92 से सम्बन्धित है, जो केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए से सम्बन्धित होने एवं केन्द्रीय अधिनियम में दिनांक 01.06.2010 से धारा 18ए के तहत समस्त अपीलें केवल राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ही सुने जाने बाबत् अधिकृत कर देने के पश्चात् प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी भी तरह की सुनवाई किया जाना विधि के विरूद्ध होने से खण्डपीठ का आदेश दिनांक 06.07.2015 विधिसम्मत है एवं उसमें कोई त्रुटि नहीं होने से संशोधन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह प्रार्थना की जा रही है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए के तहत सम्बन्धित विवादित कर निर्धारण आदेशों की सुनवाई राज्य की प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ही की जाये। इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड के उक्त दो न्यायिक निर्णय यथा **मैसर्स नीरज इण्डस्ट्रीज** एवं **मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड** प्रस्तुत कर पूर्व के दोनों आदेशों में इन निर्णयों पर विचार नहीं किया जाना बताया गया है। उक्त दोनों ही आदेशों का अवलोकन किया गया। इन दोनों निर्णयों के प्रकरणों में अपीलार्थियों द्वारा अन्य राज्यों में निष्पादित किये गये जॉब वर्क को स्वीकार करते हुए घोषणा पत्र 'एफ' प्रस्तुत करने का आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया था, जो स्पष्ट रूप से धारा 6A का

लगातार.....4

विवाद नहीं था अतः तथ्यों को देखते हुए कर बोर्ड द्वारा वे अपीलें प्रथम अपीलीय अधिकारी को स्थानान्तरित करने का निर्णय दिया गया था, जबकि हस्तगत प्रकरणों में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6A के तहत संव्यवहारों की प्रकृति के विनिश्चयकरण का विवाद है। इस तरह उपरोक्त दोनों उद्धरित निर्णयों में तथ्यात्मक भिन्नता होने से इन प्रकरणों से प्रासांगिक नहीं हैं।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की प्रथम अपील की सुनवाई की अधिकारिता सम्बन्धी कर बोर्ड की खण्डपीठ के प्रथम आदेश दिनांक 06.07.2015 एवं संशोधन प्रार्थना–पत्र पर दिया गया आदेश दिनांक 08.05.2017 में कोई त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाते हैं एवं आदेश दिनांक 06.07.2015 यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य